

क्रमांक/नियमन/ निराश्रित सहायता राशि /2019-20/1643-

भोपाल, दिनांक 04/04/2019

प्रति

1. संयुक्त / उप संचालक,
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
ऑचलिक कार्यालय - (समस्त)
2. सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(समस्त)

विषय - शासकीय उपार्जन अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित कृषि उपजों पर निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण के संबंध में।


संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नियमन/ निराश्रित सहायता राशि /2019-20/1552-1553 दिनांक 22-3-2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से शासकीय उपार्जन अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित कृषि उपजों पर मंडी फीस से छूट रहने पर भी निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है।

राज्य शासन से शासकीय उपार्जन अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित कृषि उपजों पर मंडी फीस से छूट रहने पर भी निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर अवगत कराया जायेगा।

अतः राज्य शासन से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने तक पीएसएस के अन्तर्गत नाफेड द्वारा उपार्जित कृषि उपज पर निराश्रित सहायता राशि का भुगतान लंबित रहने पर भी, कृषि उपज के परिवहन पर रोक नहीं लगायी जाये।



(फैज़ अहमद किदवाई)
प्रबंध संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 04/04/2019

क्रमांक/नियमन/ निराश्रित सहायता राशि /2019-20/1644
प्रतिलिपि

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय तथा निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल।
- 3/ शाखा प्रबंधक, नेफेड, इंदौर।


(फैज़ अहमद किदवाई)
प्रबंध संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल